क्रम-संख्या–214 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 नवम्बर, 2022

कार्तिक 19, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2

———————

संख्या 11 / 2022 / 107 / अस्सी-2–2022-100(2)-2022
लखनऊ, 10 नवम्बर, 2022

———————

अधिसूचना

प०आ०–746

अधिसूचना संख्या 3 / 2019 / 346 / अस्सी-2–2019-100(9)-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 एवं अधिसूचना संख्या 8 / 2021 / 182 / अस्सी-2–2021-100(9)-2019, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन) 2021'' के प्रस्तर–6.2.3.3 में संशोधन किये जाने हेतु स्तम्भ–1 की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ–2 की व्यवस्था रखते हुए ''उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019'' में (द्वितीय संशोधन), 2022 को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

''उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019'' में (द्वितीय संशोधन), 2022

स्तम्भ–1 **वर्तमान व्यवस्था**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था**
6.2.3.3 कृषि निर्यात (उत्पाद / उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट निम्नवत दी जायेगी :–	**6.2.3.3 कृषि निर्यात (उत्पाद / उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट / गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क / प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस से छूट निम्नवत दी जायेगी :–**
1–किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ / एफपीसी) अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर मण्डी शुल्क / प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस की शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।	1–किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ / एफपीसी) अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर मण्डी शुल्क / प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस की शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।

स्तम्भ–1 **वर्तमान व्यवस्था**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था**
2–आढ़तियों के माध्यम से खरीद करने पर मण्डी शुल्क व प्रयोक्ता प्रभार की शत–प्रतिशत छूट दी जाएगी परन्तु निर्धारित विकास सेस देय होगा।	2–आढ़तियों के माध्यम से खरीद करने पर मण्डी शुल्क व प्रयोक्ता प्रभार की शत–प्रतिशत छूट दी जाएगी परन्तु निर्धारित विकास सेस देय होगा। 3–अन्य प्रदेशों से मण्डी शुल्क व अन्य विहित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् लाये गये बासमती धान को उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण कर निर्मित चावल के निर्यात करने पर कुल निर्यातित बासमती चावल के समतुल्य प्रयुक्त बासमती धान पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त निर्यात पर मण्डी शुल्क/ प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस आदि से छूट मिलेगी, जो सामान्यतः 05 वर्षों तक देय है। निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया का निर्धारण समय– समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त निर्यात पर मण्डी शुल्क/ प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस आदि से छूट मिलेगी, जो सामान्यतः 05 वर्षों तक देय है। निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया का निर्धारण समय–समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।

2–उपरोक्त संशोधितच प्राविधान वर्तमान में प्रचलित ''उ0 प्र0 चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017–22)'' तथा इस सम्बन्ध में निर्गत विभिन्न शासनादेशों पर अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से अधिक्रमित (Supersede) होंगे।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 823 राजपत्र–2022–(1255)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार–2022–(1256)–250 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।